Member of Parliament Local Area Development Scheme

भारत सरकार
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
सरदार पटेल भवन. नई दिल्ली -110001
सत्यमेव जयते
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF STATISTICS & PROGRAMME IMPLEMENTATION
SARDAR PATEL BHAVAN. NEW DELHI-110001
FAX : 011-23364197
E-mail : mplads@nic.in

Dated दिनांक 18.10.2013

सं. सी-23/2011 एमपीलैड्स (खण्ड-II)

सेवा में,

1. आयुक्त
   कोलकाता/चेन्नई/दिल्ली नगर निगम
2. सभी जिला कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट/उपायुक्त

विषयः न्यासों एवं सोसाइटियों द्वारा जनजातीय क्षेत्रों में व्यय किए जाने हेतु एमपीलैड्स निधि की अतिरिक्त राशि ।

महोदय,

दिनांक 30.11.2012 के समसंख्यक परिपत्र के अनुसार, पंजीकृत न्यासों/सोसाइटियों को उनके जीवन काल में कार्यों हेतु 25 लाख रूपए की सीमा को 50 लाख रुपए तक बढ़ाने के परिणामस्वरूप, यह निर्णय लिया गया है कि जनजातीय क्षेत्रों में व्यय किए जाने हेतु अतिरिक्त राशि को 12.5 लाख रूपए से बढ़ाकर तदनुरूप 25 लाख रुपए तक किया जाए जो सीमा का 50% है । निम्नलिखित पैरा सं. 2.5.1 को एमपीलैड्स दिशानिर्देशों के मौजूदा उप खण्ड के स्थान पर शामिल करने का प्रस्ताव है:

"पैरा 2.5.1 **25 लाख रूपए की अतिरिक्त राशि को जनजातीय क्षेत्रों में ही व्यय किया जाएः** जनजातीय लोगों की बेहतरी के लिए न्यासों एवं सोसाइटियों को प्रोत्साहित करने के लिए दिशानिर्देशों के पैरा 3.21.2 में न्यासों एवं सोसाइटियों द्वारा परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए निर्धारित 50 लाख रूपए की सीमा को 50% बढ़ाकर 75 लाख कर दिया जाएगा जो निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होगा (क) सामुदायिक निर्माण कार्य प्राथमिक रूप से जनजातीय क्षेत्रों में जनजातीय लोगों के लाभ के लिए हों (ख) आरंभ किए गए कार्य तथा लाभार्थी न्यास/सोसाइटी एमपीलैड्स दिशानिर्देशों की अन्य सभी शर्तों को पूरा करती हों ।"

3. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया गया है ।

भवदीय,

18/10/13

(डी. साईबाबा)
निदेशक (एमपीलैड्स)

प्रतिलिपि सूचनार्थः

1. सभी माननीय सदस्य (लोक सभा/राज्य सभा)
2. एमपीलैड्स से संबंधित नोडल विभागों के सचिव, (सभी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र)
3. एमपीलैड्स संबंधी राज्य सभा समिति, राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली ।
4. एमपीलैड्स संबंधी लोक सभा समिति, लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली ।
5. एमपीलैड्स प्रभाग के सभी संबंधित अधिकारी ।
6. एनआईसी को इस अनुरोध के साथ कि इसे एमपीलैड्स वेबसाइट पर अपलोड करें ।